तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती सुशीला देवी बनाम सचिव जे.डी.ए व अन्य** **अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/684**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रार्थीया उपरोक्त उनवानी अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है तथा पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को आज ही विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान कर अपील को इसी स्तर पर निस्तारित कर खारिज करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी ने हस्ताक्षर शुदा आधार कार्ड प्रस्तुत किये गये एवं वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थीया के हस्ताक्षर तस्दीक किये गये। अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र विड्रो स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर	